

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 503/2025

सविन कुमार बिश्नोई पुत्र संतकुमार जाति बिश्नोई निवासी राजावाली तहसील अबोहर जिला  
फाजिल्का (पंजाब)

-वादी

बनाम

1. इन्द्रा पत्नी संत कुमार जाति बिश्नोई निवासी राजावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. संजीवा रानी पुत्री संत कुमार जाति बिश्नोई निवासी दुतारावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 9.12.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री बन्दुश बिश्नोई अभिभाषक वादी व श्री परविन्द्र सिंह अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादी स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि वादी को वादी को चक नं. 15 पी.टी.पी. के खाता सं. 69/57 ज.सं. 2073-76 में 1/6 हि. यानि 0.588 है. तथा चक नं. 13 पी.टी.पी. ज.सं. 2073-76 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 78/69 में 1/6 हि. यानि 0.1265 है. कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त दोनो खातो से प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पति/पिता संत कुमार का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज  निल  मुब्लिक  निल  बाबत  निल  खर्चा मुकदमें के मय

शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक  को अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9.12.2025 को जारी किया

गया।

( जय कौशिक )

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया